भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

3

म्यूटेशन अपील वाद संख्या –02 / 2024–25

श्री मति उषा देवी भगत–वादी

बनाम्

रैयान मौजा गोड्डा टाऊन–प्रतिवादी

:–आदेशः–

12/06/2025

अपील कर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख वद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता श्री मति उषा देवी भगत पति विनोद कुमार भगत साकिन–गोड्डा टाऊन जिला–गोड्डा ने अंचल अधिकारी गोड्डा के नामान्तरण वाद संख्या–02 / 2007–2008 के आदेश फलक में अंकित मौजा गोड्डा टाऊन नं0–502 के बसोढ़ी खाता संख्या–86 को सुधार कर बसोढ़ी खाता नं0–79 अंकित करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उनका आवेदन है कि आवेदिका के द्वारा मौजा–गोड्डा टाऊन नं0–502 बसोढ़ी खाता–79 के दाग नं0–409 रकवा–00–00–09 धुर जमीन का नामांतरण के लिए आवेदन दाखिल किया था लेकिन अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा नामांतरण वाद संख्या–02 / 2007–2008 के आदेश फलक में भूल वश खाता नं0–79 के स्थान पर खाता नं0–86 अंकित किया गया है जबकि सही नं0–79 जिसका उल्लेख केवाला दस्तावेज में भी है। उन्होंने नामान्तरण आदेश में खाता नं0–86 को विलोपित करते हुए सुधार कर सही खाता नं0–79 दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख वद्ध कागजातों का अवलोकन किया। गत सर्वे सेटेलमेंट पर्चा में मौजा–गोड्डा टाऊन नं0–502 खाता नं0–79 दर्ज है। केवाला दस्तावेज भी खाता नं0–79 दर्ज है।

इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन का सही खाता नं0–79 है। चूँकि भूल वश अंचल अधिकारी,गोड्डा के द्वारा खाता नं0–79 के स्थान खाता नं0–86 दर्ज किया गया है। आवेदिका के द्वारा खाता नं0–86 को विलोपित करते हुए सुधार कर खाता नं–79 दर्ज करने के लिए आवेदन किया गया है। अतएव उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी,गोड्डा को खाता नं0–86 के स्थान पर खाता नं0–79 सुधार हेतु आदेश दिया जाता है। जहाँ–जहाँ खाता नं0–86 दर्ज है वहाँ–वहाँ खाता नं0–79 दर्ज करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी,गोड्डा को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

12/06/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

12/06/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.09.10 16:11:13 +05:30
Location: 192.168.29.7